संख्या- 03/2023 /10 /78-2-2023/ई-1059520

प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 07 फरवरी, 2023

विषय: यूपी स्वान 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि रू0-3073.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को के पत्र संख्या-डी/22-23/3855 ,दिनांक 24-12-2022 द्वारा शासनादेश दिनांक 28-07-2022 द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति रू0- 148255600.00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए पत्र संख्या-डी/22-23/3855 ,दिनांक 04-01-2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-6180.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-3073.33 लाख (रूपये तीस करोड़ तिहत्तर लाख तैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूपी स्वान 2.0 परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन एवं चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-6180.00 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-3073.33 लाख (रूपये तीस करोड़ तिहत्तर लाख तैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(5) भुगतान के पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को संबंधित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे था प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।

(6) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(8) प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 उद्योग (भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-25-यूपीस्टेट वाइड एरिया नेटवर्क-2 (यूपीस्वान-2)-42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश प्रशासकीय विभाग को प्राविधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कुमार विनीत
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3 उ0प्र0 शासन।
10. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 वि0 उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वी0पी0 नागेश
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।